न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 159/18 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2018/00176)

1. मुकेश
2. सुरेश

पिसरान सीताराम (पुत्र सुखदेव) जाति जाटव निवासी ग्राम चिचाना तहसील व जिला भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. रामवती पत्नी ऊंदल सिंह (पुत्र सोना) जाति जाट निवासी धनागढ
2. नरदेव सिंह ऊंदलसिंह (पुत्र सोना)
3. जोगेन्द्र सिंह ऊंदलसिंह (पुत्र सोना)
4. पूरनसिंह पुत्र भूपसिंह

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर मु0नं0 241/2016 मुकेश बनाम रामवती दिनांक 30.07.2018 (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री प्रतापसिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री सुगडसिंह वकील रैस्पोडेन्ट
3. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 20.06.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 30.7.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि सैटिलमेन्ट से पूर्व अपीलान्टान के बाबत सुखदेव के कब्जेकाश्त व खातेदारी में गत आराजी खसरा नम्बर 526 मिन रकबा 13 बीघा , 490 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, 513 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, 517 मिन रकबा 1 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 17 बीघा 9 विस्वा वाकै ग्राम चिचाना तहसील व जिला भरतपुर थे। जिनमें हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 18 ऐयर, 146 रकबा 35 ऐयर, 152 रकबा 11 ऐयर, 187 रकबा 61 ऐयर, 189 रकबा 1 ऐयर, 190 रकबा 1.30 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.56 हैक्टेयर वाकै ग्राम चिचाना तहसील व जिला भरतपुर बनाऐ गये है। इस प्रकार अपीलान्टान का गत रकबा 17 बीघा 9 विस्वा था। जिससे हाल रकबा 2.56 हैक्टेयर इस प्रकार केवल 16 बीघा रकबा बनाया गया है। जो गत के मुकाबले 1 बीघा 9 विस्वा रकबा कम है। यानि कि 24 ऐयर रकबा कम है। जबकि रैस्पोडेन्टान के कब्जेकाश्त व हकूक खातेदारी में सैटिलमेन्ट से पूर्व रैस्पोडेन्टान के पूर्वज सोनाराम बल्द वहाली व मोहरसिंह एवं हरीसिंह पिसरान परसराम के कब्जेकाश्त व हकूक खातेदारी में केवल

20.6.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

1 किता गत आ0ख0नं0 526 मिन रकबा 15 वीघा वाकै ग्राम चिचाना था जो आज भी मौके पर उनके कब्जे में 15 बीघा रकबा ही है तथा अपीलान्ट के कब्जे में आज सभी 17 बीघा 9 विस्वा रकबा है। रैस्पोडेन्टान के गत खसरा नम्बर 526 से हाल खसरा नम्बर 165 रकबा 24 ऐयर, 166 रकबा 19 ऐयर, 199 रकबा 101 ऐयर, 200 रकबा 48 ऐयर, 206 रकबा 48 ऐयर, 207 रकबा 55 ऐयर, 217 रकबा 7 ऐयर कुल किता–7 कुल रकबा 302 ऐयर सैटिलमेन्ट कर्मचारियों ने बनाऐ है। जबकि रैस्पोडेन्ट का 240 ऐयर पर गतानुसार कब्जा है। इस प्रकार रैस्पोडेन्टान की खातेदारी में 62 ऐयर रकबा सैटिलमेन्ट कर्मचारियों ने अधिक दर्ज कर दिया है। जिसमें से अपीलान्टान अपने रकबा की पूर्ति करा पाने का आधिकारी है। अपीलान्टान के हाल खसरा नम्बर जो गत खसरा नम्बर 526 मिन रकबा 13 वीघा विस्वा से बने है जिनमें से 2 खसरा नम्बर प्रथम 187 रकबा 61 ऐयर व 190 रकबा 130 ऐयर के बनाऐ गये है। जिनमें अपीलान्टान का 24 ऐयर रकबा कम दर्ज किया गया है। जिसकी उत्तरी मैड रैस्पोडेन्टान के खसरा नम्बर 200 रकबा 48 ऐयर से चिपटेमा बनाई गई दर्शाई गई है। जिनमें से आधे रकबा पर अपीलान्टान का कब्जा है। यानि कि रैस्पोडेन्टान के हाल आ0ख0नं0 200 को 48 ऐयर की बजाय 24 ऐयर का किया जाये व अपीलान्ट के हाल आ0ख0नं0 190 को 130 ऐयर की बजाय 154 ऐयर का किया जाये तथा नक्शा में दुरूस्ती की जाकर अपीलान्टान के रकबा की रैस्पोडेन्टान के रकबा से पूर्ति किये जाने के आदेश प्रदान किये जाये। साक्ष्य हेतु प्रार्थना पत्र के साथ दोनों पक्षों की सैटिलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत 2027 व दोनों पक्षकारों के खेतों का मिलान क्षेत्रफल व दोनों पक्षकरों की हाल जमाबन्दीयां सम्वत 2071 से 2074 एवं दोनों पक्षकारों के नऐ पुराने नक्शों की सत्य प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई। अन्त में निवेदन किया गया है कि सैटिलमेन्ट ने प्रार्थी/अपीलान्ट के साथ नाइंसाफी की है। अतः अपीलान्टान गैरसायलान के हाल आ0ख0नं0 200 से 24 ऐयर रकबा कम कराकर अपीलान्टान के हाल आ0ख0नं0 190 की उत्तरी मैड को आगे बढवाकर करबा पूर्ति करा पाने का हकदार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार अपीलान्ट के रकबे की रैस्पोडेन्ट के रकबे से पूर्ति की जावे। तदनुसार नक्शा में संशोधन किया जावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.7.2018 से खारिज करते हुये यह निर्णय दिया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अप्रार्थीगण के किस खसरा नम्बर में कितना रकबा गत से अधिक है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के इन खसरा नम्बरों पर मौके पर कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं है क्यों कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान एक दूसरे से सटे न होकर दूर–दूर स्थित है। भरतपुर तहसील में सैटिलमेन्ट हुये 30 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। 30 वर्ष के पश्चात धारा 128 व 136 एल आर एक्ट के तहत रकबे में कथित कमीपूर्ति व राजस्व नक्शों में संशोधन का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। इसके लिये प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक दावा व कब्जा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वापिसी का दावा लाना होगा। जहां साक्ष्य परीक्षण के उपरान्त उभयपक्षों के हक हकूक निर्धारित होगे। इस प्रकार उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.7.2018 से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट खारिज किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2018 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया था कि सैटिलमेन्ट से पूर्व अपीलान्टान के बाबा सुखदेव के कब्जेकाश्त व खातेदारी में गत आराजी खसरा नम्बर 526 मिन रकबा 13 बीघा,490 रकबा 1 बीघा 5 विस्बा, 513 रकबा 2 बीघा 4 विस्बा, 517 मिन रकबा 1 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 17 बीघा 9 विस्बा वाकै ग्राम चिचाना तहसील व जिला भरतपुर थे। जिनमें हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 18 ऐयर, 146 रकबा 35 ऐयर, 152 रकबा 11 ऐयर, 187 रकबा 61 ऐयर, 189 रकबा 1 ऐयर, 190 रकबा 1.30 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.56 हैक्टेयर वाकै ग्राम चिचाना तहसील व जिला भरतपुर बनाऐ गये है। इस प्रकार अपीलान्टान का गत रकबा 17 बीघा 9 विस्बा था। जिससे हाल रकबा 2.56 हैक्टेयर इस प्रकार केवल 16 बीघा रकबा बनाया गया है। जो गत के मुकाबले 1 बीघा 9 विस्बा रकबा कम है। यानि कि 24 ऐयर रकबा कम है। जबकि रैस्पोडेन्टान के कब्जेकाश्त व हकूक खातेदारी में सैटिलमेन्ट से पूर्व रैस्पोडेन्टान के पूर्वज सोनाराम बल्द वहाली व मोहरसिंह एवं हरीसिंह पिसरान परसराम के कब्जेकाश्त व हकूक खातेदारी में केवल 1 किता गत आ0ख0नं0 526 मिन रकबा 15 वीघा वाकै ग्राम चिचाना था जो आज भी मौके पर उनके कब्जे में 15 बीघा रकबा ही है तथा अपीलान्ट के कब्जे में आज सभी 17 बीघा 9 विस्बा रकबा है। रैस्पोडेन्टान के गत खसरा नम्बर 526 से हाल खसरा नम्बर 165 रकबा 24 ऐयर, 166 रकबा 19 ऐयर, 199 रकबा 101 ऐयर, 200 रकबा 48 ऐयर, 206 रकबा 48 ऐयर, 207 रकबा 55 ऐयर, 217 रकबा 7 ऐयर कुल किता–7 कुल रकबा 302 ऐयर । सैटिलमेन्ट कर्मचारियों ने बनाऐ है। जबकि रैस्पोडेन्टान का 240 ऐयर पर गतानुसार कब्जा है। इस प्रकार रैस्पोडेन्टान की खातेदारी में 62 ऐयर रकबा सैटिलमेन्ट कर्मचारियों ने अधिक दर्ज कर दिया है। जिसमें से अपीलान्ट अपने रकबा की पूर्ति करा पाने का आधिकारी है। अपीलान्ट के हाल खसरा नम्बर जो गत खसरा नम्बर 526 मिन रकबा 13 बीघा विस्बा से बने है जिनमें से 2 खसरा नम्बर प्रथम 187 रकबा 61 ऐयर व 190 रकबा 130 ऐयर के बनाऐ गये है। जिनमें अपीलान्ट का 24 ऐयर रकबा कम दर्ज किया गया है। जिसकी उत्तरी मैड रैस्पोडेन्टान के खसरा नम्बर 200 रकबा 48 ऐयर से चिपटेमा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

बनाई गई दर्शाई गई है। जिनमें से आधे रकबा पर अपीलान्टान का कब्जा है। यानि कि रैस्पोडेन्टान के हाल आ0ख0नं0 200 को 48 ऐयर की बजाय 24 ऐयर का किया जाये व अपीलान्ट के हाल आ0ख0नं0 190 को 130 ऐयर की बजाय 154 ऐयर का किया जाये तथा नक्शा में दुरूस्ती की जाकर अपीलान्टान के रकबा की रैस्पोडेन्ट के रकबा से पूर्ति किये जाने के आदेश प्रदान किये जाये। साक्ष्य हेतु प्रार्थना पत्र के साथ दोनों पक्षों की सैटिलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत 2027 व दोनों पक्षकारों के खेतों का मिलान क्षेत्रफल व दोनों पक्षकरों की हाल जमाबन्दीयां सम्वत 2071 से 2074 एवं दोनों पक्षकारों के नऐ पुराने नक्शों की सत्य प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत हुए रिकार्ड व दस्तावेजात को देखे बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। जबकि अपीलान्ट के गैरसायलान के हाल आ0ख0नं0 200 से 24 ऐयर रकबा कम कराकर अपीलान्ट के हाल आ0ख0नं 190 की उत्तरी मैड को आगे बढवाकर रकबा पूर्ति कराने का हकदार है। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट के रकबे की रैस्पोडेन्ट के रकबे से पूर्ति की जावे तथा तदनुसार नक्शे में भी संशोधन किया जावे। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पांच बिन्दु विधि विरूद्ध तरीके से पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत तय करके विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। पहला बिन्दु सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय की पंक्ति नं0 4, 5, 6 में यह निर्धारित किया है कि अप्रार्थीगण के किस खसरा नम्बर में कितना रकबा गत से अधिक है जबकि गत खसरा नम्बर 526 में दोनों पक्षों के खातेदारी का था। दूसरा बिन्दु निर्णय की पंक्ति नं0 8 में यह उल्लेख किया है कि मौके पर कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं है जबकि धारा 136 एल आर एक्ट में केवल पक्षकारों के गत व हाल एवं मिलान क्षेत्रफल व गत व हाल नक्शों का अवलोकन करके एवं विवेचन करके निर्णय दिया जाता है। परन्तु सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का कतई अवलोकन नहीं किया है। ना ही दस्तावेजों का अपने निर्णय में हवाला दिया है। तीसरी बात सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय की पंक्ति संख्या 11 में पक्षकरों के खेतों को दूर–दूर स्थित माना है जबकि प्रार्थीयान अपीलान्टान ने अपने दफा– 136 की मद नम्बर 1 की अन्तिम 3 लाईनों में यह स्पष्ट लिखा था कि सायलान गैर सायलान के हाल आराजी खसरा नम्बर 200 से 24 ऐयर रकबा कम कराकर सायल के हाल खसरा नम्बर 190 की उत्तरी मैड को आगे बढवाकर रकबा पूर्ती करा पाने के हकदार है। इस प्रकार सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट लिख दिया था कि सायलान अपीलान्टान व रैस्पोडेन्टान के गत खसरा नम्बर 526 व हाल खसरा नम्बर 200 व 190 चिपटेमा रकबा है। परन्तु इस तथ्य को भी अदालत मातहत द्वारा नजरअंदाज किया गया है। चौथी बात सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय की पंक्ति नम्बर 13 में मियाद का उल्लेख किया है जबकि धारा 136 एल आर एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की कोई कानूनन मियाद नहीं होती है। पांचबी बात

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के अन्त में प्रार्थीयान को कब्जे वापसी का दावा करने की हिदायत देकर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय दिया है। अदालत मातहत का उक्त निर्णय सर्वथा अवैध व काबिले मंसूखी है। अपीलाधीन निर्णय बिना किसी मौका रिपोर्ट के एवं बिना किसी तथ्य के मनमाने तरीके से पारित किया है जो रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2018 निरस्त किया जावे। तथा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट के रकबे की पूर्ति रैस्पों0 की खातेदारी में स्थित खसरा नम्बर 200 से 24 ऐयर रकबा कम करवाकर अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित खसरा नम्बर 190 की उत्तरी मेड को आगे बढाकर रकबे की पूर्ति की जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पों0 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2018 तथ्यों व रिकार्ड पर आधारित है एवं विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाकर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तहत अदालत द्वारा नियमानुसार रिकार्ड का अवलोकन किया है एवं कानूनी प्रावधानों के मध्यनजर ही कानून के परिपेक्ष्य में निर्णय पारित किया है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी ठोस आधार के विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट पेश किया गया जो कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2018 से खारिज किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट ही नहीं किया कि अप्रार्थीगण के किस खसरा नम्बर में कितना रकबा गत से अधिक है। जबकि वादी पर अपना वाद सिद्ध करने की पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी बनी रहती है। मौके पर जांच के उपरान्त यह पाया गया कि प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के इन खसरा नम्बरों पर मौके पर कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं है क्यों कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान एक दूसरे से सटे न होकर दूर–दूर स्थित है। इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखित है कि भरतपुर तहसील में सैटिलमेन्ट हुये 30 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। 30 वर्ष के पश्चात धारा 128 व 136 एल आर एक्ट के तहत रकबे में कथित कमीपूर्ति व राजस्व नक्शों में संशोधन का अनुतोष दिया जाना एवं 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत राजस्व रिकार्ड में कोई संशोधन किया जाना न्यायोचित नहीं है। जो कि उचित है क्योंकि एल आर एक्ट की धारा 136 के अंतर्गत केवल और केवल लिपिकीय त्रुटी को ही दुरूस्त किया जा सकता है। इस धारा का सहारा लेकर किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों अथवा राजस्व रिकार्ड से छेडछाड नहीं की जा सकती है। न्याय का यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि सैटिलमेन्ट समाप्ति के पश्चात केवल घोषणात्मक वाद दायर करके ही व्यक्ति कोई अनुतोष प्राप्त कर सकता है। लिहाजा कानूनी प्रावधानों एवं मौका एवं रिकार्ड के अनुरूप ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जावे। तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश 30.7.2018 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान उप जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2018 के द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत एल.आर.एक्ट की धारा 136 का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट अंकित नहीं किया गया कि अप्रार्थी के किस खसरा नम्बर में कितना रकबा गत रकबे से अधिक है। तथा प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के इन खसरा नम्बरों पर मौके पर कब्जाकाश्त प्रमाणित नहीं है जो कि तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। क्योंकि अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत 136 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र की मद नंबर में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित है कि प्रार्थी के बाबा सुखदेव के कब्जेकाश्त व खातेदारी में गत आराजी खसरा नंबर 526 मिन रकबा 13 बीघा, 490 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 513 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 517 मिन रकबा 1 बीघा कुल किता 4 रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा था जिसके हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 18 ऐयर, 146 रकबा 35 ऐयर, 152 रकबा 11 ऐयर, 187 रकबा 61 ऐयर, 189 रकबा 1 ऐयर, 190 रकबा 1.30 है0 कुल किता 6 रकबा 2.56 है0 बनाया है। जो कि गत के मुकाबले 1 बीघा 9 बिस्वा यानि 24 ऐयर कम है। इसी प्रकार गैरसायलान के पूर्वज सोनाराम की खातेदारी में खसरा नंबर 526 मिन रकबा 15 बिस्वा था जो कि मौके पर व कब्जे में 15 बीघा ही है। सैंटिलमेन्ट के दौरान उक्त खसरा नम्बर के नये नंबर 165 रकबा 24 ऐयर, 166 रकबा 19 ऐयर, 199 रकबा 101 ऐयर, 200 रकबा 48 ऐयर, 206 रकबा 48 ऐयर, 207 रकबा 55 ऐयर, 217 रकबा 7 ऐयर कुल किता 7 रकबा 302 ऐयर बनाये गये हैं जबकि गैर सायलान का 240 ऐयर बनता है तथा इतने पर ही कब्जा है। गैर सायलान की खातेदारी 62 ऐयर रकबा सैटिलमेन्ट द्वारा अधिक दर्ज किये जाने के कारण गैर सायलान की खातेदारी में स्थित खसरा नंबर 200 रकबा 48 ऐयर जो कि प्रार्थी की खातेदारी में स्थित खसरा नंबर 190 से चिपटा हुआ है, में से 24 ऐयर रकबे की पूर्ति किये जाने का उल्लेख किया गया है। अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व रिकार्ड भी पेश किया गया था जिसमें साबिक व हाल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल आदि की प्रमाणित प्रतियां थी। विद्वान उप जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व न तो अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का भलीभाति अवलोकन किया और न ही सही विवेचना ही की गई। इसके अलावा तहसीलदार से भी किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। इसलिए अपीलाधीन निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता हैं। अपीलाधीन निर्णय में विद्वान उप जिला कलक्टर ने यह उल्लेख किया है कि अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर पर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट/प्रार्थी का कब्जाकाश्त प्रमाणित नही है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खसरा नंबर एक–दूसरे से सटे नही होकर दूर स्थित है। विद्वान उप जिला कलक्टर भरतपुर का उक्त अभिमत भी उचित प्रतीत नही होता है क्योंकि राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि अपीलान्ट/प्रार्थी व रैस्पो0/अप्रार्थी के पूर्वज की खातेदारी में सैटिलमेन्ट से पूर्व कौनसा खसरा नंबर व कितना रकबा था तथा सैटिलमेन्ट के दौरान इन खसरा नम्बर के क्या नंबर व कितना रकबा बनाया गया है। तथा रैस्पों0 के खाते में कितना रकबा अधिक दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद भी इस तरह का अभिमत दिया जाना न्यायोचित था। इसी प्रकार अपीलाधीन निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि सैटिलमेन्ट के 30 वर्ष पश्चात धारा 128 व 136 एल.आर.एक्ट के तहत रकबे में कथित कमी–पूर्ति व राजस्व नक्शे में संशोधन का अनुतोष नहीं दिया जा सकना माना है। उक्त अभिमत भी उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु मियाद कौनसे प्रावधान में उल्लेखित है, इसका कोई उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में नहीं किया गया है। अतः इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय उचित नहीं माना जा सकता है। क्योंकि एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत ही इस तरह का अनुतोष दिया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 136 के साथ प्रस्तुत किये गये विभिन्न राजस्व रिकार्ड का भलीभांति अवलोकन व परीक्षण करने तथा आवश्यकता समझी जाने पर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 20.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

20.6.2023

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर